

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

स्वाट टीम/थाना को0शहर पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में डबल मर्डर का वांछित/ 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विवेक उर्फ विक्कू घटना में प्रयुक्त तमन्चा मय कारतूस सहित गिरफ्तार।

दिनांक 09.05.2021 को महाराज सिंह पुत्र नत्थे सिंह निवासी ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर द्वारा थाना को0शहर पर तहरीर दी कि वह अपने पुत्र धीर सिंह व पौत्र अंकुर पुत्र जगवीर सिंह तथा दोनों पुत्रबधू रीता, बबीता जंगल से घर आ रहे थे तभी संजीव निवासी सुन्दरपुर के खेत के पास सफेद रंग की आल्टो कार जिसको देवेन्द्र निवासी कम्भोर चला रहा था जिसमें कृष्णा पुत्र अमन हमारे ही गाँव का, ललित व अमित पुत्रगण हेमेन्द्र निवासी रावणपुर तथा 02 अज्ञात व्यक्ति उतरे और पुरानी रंजिश के चलते तमन्चो व बन्दूक से धीरसिंह व अंकुर पर ताबडतोड फायरिंग कर दी जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस घटना में अनुज व नितिन शामिल है। तहरीर के आधार पर थाना को0शहर बिजनौर पर मु0अ0सं0 276/21 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि0 बनाम 1-देवेन्द्र, 2-कृष्णा, 3-ललित, 4-अमित, 5-अनुज, 6-नितिन उपरोक्त व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्वाट व सर्विलांस/को0शहर पुलिस को घटना में संलिप्त अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में 1-विवेक पुत्र नीरज निवासी ग्राम किठौली थाना जौनी जनपद मेरठ, 2-आकाश राठी उर्फ राजीव उर्फ टिकल पुत्र बिजेन्द्र उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपा जनपद मु0नगर, 3-लवली पत्नी अनुज निवासी फरीदपुर संसारु उर्फ धौकलपुर थाना को0शहर बिजनौर, 4-सुमित पुत्र स्व0 राकेश निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये। अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद महोदय द्वारा अभियुक्त विवेक उपरोक्त की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपये की गयी।

दिनांक 20.05.2021 को स्वाट टीम व थाना को0शहर पुलिस द्वारा अभि0गण 1-आकाश राठी उर्फ राजीव, 2-सुमित, 3-कृष्णा उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 28.05.2021 को स्वाट टीम व थाना को0शहर पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त अभि0 विवेक उर्फ विक्कू ग्राम किठौली, थाना जानी जनपद मेरठ को पुलिस कार्यवाही में मण्डावर बाईपास चौराहे से 01 तमन्चा 12 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी व पुलिस पार्टी पर फायर करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 324/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0 323/21 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजिश में हत्या करना स्वीकार किया गया है

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता:-

विवेक उर्फ विक्कू पुत्र नीरज निवासी ग्राम किठौली थाना जौनी जनपद मेरठ

बरामदगी:-

01 तमन्चा 12 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 276/2021 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि थाना कोतवाली शहर

2-मु0अ0सं0 293/2021 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कोतवाली शहर

3-मु0अ0सं0 323 / 2021 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली शहर

4-मु0अ0सं0 324 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शहर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

स्वाट टीम:- 1-श्री राजकुमार शर्मा प्रभारी स्वाट / सर्वािलांस, 2-उ0नि0 श्री मनोज परमार, 3-उ0नि0 श्री संजय कुमार, 4- हे0कां0 राजकुमार नागर, 5- कां0 खालिद, 6-कां0 रईस अहमद, 7- का0 बेताब जावला , 8-का0 दीपक कुमार, 9-कां0 रंजीत मलिक, 10- कां0 मोहित शर्मा, 11-कां0 विकास बैसला 12- कां0 मोनू कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर।

कोतवाली शहर टीम:- 1-श्री राधेश्याम प्रभारी निरीक्षक, 2-उ0नि0 जरार हुसैन, 3-उ0नि0 कुलदीप राणा, 4-का0 69 अरविन्द, 5-का 1033 देवेश, 6-का0 1027 रूपक मलिक थाना कोतवाली शहर, बिजनौर



थाना स्योहारा पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट में वांछित व 15-15 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित 03 अभियुक्त गिरफ्तारा

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 2 9.05.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नल तिराहा ठाकुरद्वारा रोड से मु0अ0स 0273/21 धारा 2 / 3 गैगस्टर एक्ट के वांछित/15-15 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1- अंकित कुमार पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम सिपाहियोवाला थाना स्योहारा 2- बब्लू पुत्र बुद्ध सिंह नि0 ग्राम सिपाहियोवाला थाना स्योहारा 3- सुदेश पुत्र जगदीश नि0 रिफाकतपुर थाना अफजलगढ जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण पर 15-15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंकित कुमार पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम सिपाहियोवाला थाना स्योहारा जिला बिजनौर
2. बब्लू पुत्र बुद्ध सिंह नि0 ग्राम सिपाहियोवाला थाना स्योहारा जिला बिजनौर
3. सुदेश पुत्र जगदीश नि0 रिफायतपुर थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 173/2020 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 273/2021 धारा 3(1) गैगस्टर अधि0 थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.थानाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गौड 2. वरि0उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह 3.उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह 4. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह 5.हे0का0 353 पुरुषोत्तम 6.का0 1728 अजय ठाकुर 7.का0 1299 नितिन कुमार 8.का0 1943 दीपक पुन्डीर 9. का0 1295 प्रदीप कुमार



थाना स्योहारा पुलिस द्वारा दहेज हत्या में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.05.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दि0 27.12.2020 से मु0अ0सं0 654/2020 धारा 498ए/323/504/304बी आईपीसी व धारा 3/4 दहेज अधि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र जीराज नि0 ग्राम ज्योतिम्मा थाना स्योहारा जिला बिजनौर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विरेन्द्र पुत्र जीराज नि0 ग्राम ज्योतिम्मा थाना स्योहारा जिला बिजनौर

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 654/2020 धारा 498ए/323/504/304 बी आईपीसी व धारा 3/4 दहेज अधि0

थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गौड
2. वरि०उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह
3. उ०नि० श्री गजेन्द्र सिंह
4. हे०का० 353 पुरुषोत्तम
5. का० 1728 अजय ठाकुर
6. का० 1299 नितिन कुमार
7. का० 1295 प्रदीप कुमार



थाना किरतपुर- आज दिनांक 29.05.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त फरमान पुत्र अनीश निवासी हुसैनपुर थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 144/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना मण्डावली- आज दिनांक 29.05.2021 थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-सुनील पुत्र ओम प्रकाश 2-कपिल पुत्र ओम प्रकाश निवासीगण ग्राम सिकरोड़ा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना नहतौर- आज दिनांक 29.05.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 325/20 धारा 323/384/386/388/420/120 बी/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुलफाम पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला हलवाईआन कस्बा व थाना नहतौर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना शेरकोट— आज दिनांक 29.05.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 23/21 धारा 380/411 व मु0अ0सं0 92/21 धारा 379/411 से सम्बन्धित अभियुक्त शारिक पुत्र अनीस अहमद निवासी मोहल्ला नौधना कस्बा व थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा— आज दिनांक 29.05.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अकरम पुत्र रहीस निवासी मोहल्ला कस्सावान थाना कोतवाली शहर, बिजनौर हाल निवासी मोहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा- आज दिनांक 29.05.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण इमरान पुत्र खलील व फरीद पुत्र खलील निवासीगण मोहल्ला अफगानान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना नगीना- आज दिनांक 29.05.2021 को थाना नगीना पुलिस द्वारा 07 नफर अभियुक्तगण 1-अंकुर पुत्र मूलचंद काशी मोहल्ला खुर्रम अली सराय 2-रॉबिन पुत्र शेर सिंह निवासी मोहल्ला कस्बा कोटरा हाल निवासी पुरम अली सराय 3-लोकेंदर उर्फ छोटू पुत्रगण सुभाष सिंह निवासी ग्राम मुस्तफापुर भूरापुर नगीना 4-कसिम पुत्र अब्दुल रशीद मोहल्ला काजी सराय बिजनौर 5-सुधीर कुमार पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम हरनावदा थाना नगीना 6-हफीज अंसारी पुत्र फुरकान अहमद निवासी ग्राम शेखूपूरा तुर्क थाना नगीना 7-अब्दुल कादिर पुत्र हबीब निवासी मोहल्ला चोधराना नगीना जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 के तहत माननीय न्यायालय पेश किया गया।

